

कार्यालय-निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक :- शिविरा-मा/माध्य/अ-1/21312/समन्वयन से मुक्त/2022/

दिनांक : 3-2-23

जिला शिक्षा अधिकारी,
(मुख्यालय)-माध्यमिक,
जालौर

- विषय :** विधानसभा क्षेत्र जालौर में स्थित राउमावि रेवतडा एवं राउमावि मेंगलवा में मर्ज किये गये राबाउप्रावि रेवतडा एवं राप्रावि मेंगलवा को डीमर्ज करने के संबंध में।
- प्रसंग :** शासन का पत्र क्रमांक: प. 14(4)शिक्षा-1/एकी./जालौर/2016 पार्ट दिनांक: 30.01.2023 के क्रम में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक आदेश के क्रम में पूर्व समन्वित राजकीय विद्यालय को निम्नानुसार समन्वयन से मुक्त किए जाने की स्वीकृति अग्रांकित शर्तों के अंतर्गत प्रदान की जाती है :-


क्र.सं.	जिला	विधानसभा क्षेत्र	विद्यालय का नाम (जिसमें समन्वित किया गया)	विद्यालय का नाम (समन्वयन से मुक्त होने वाला)
1.	जालौर	जालौर	राउमावि, रेवतडा	राबाउप्रावि, रेवतडा
2.	जालौर	जालौर	राउमावि, मेंगलवा	राप्रावि मेंगलवा

➤ शर्तें

- विद्यालय को सत्र 2023-24 से संचालित किया जायेगा।
- विद्यालय को संचालित (प्रारम्भ) करने के लिए प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम 15 का नामांकन एवं सुरक्षित भवन की उपलब्धता होने पर ही विद्यालय प्रारम्भ किया जा सकेगा।
- पर्याप्त नामांकन होने पर न्यूनतम प्राथमिक विद्यालय के लिये 02 शिक्षक L-1 एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय में L-1 के 02 एवं L-2 के 03 शिक्षकों के पद प्रारम्भिक शिक्षा विभाग में उपलब्ध आरक्षित पदों में से आवंटित किए जायेंगे।
- माध्यमिक शिक्षा के विद्यालय में से प्राथमिक विद्यालय एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय मुक्त (पृथक) किये जाने पर माध्यमिक शिक्षा का विद्यालय पूर्वानुसार ही संचालित किया जाता रहेगा। (कक्षा 1-10 तक या कक्षा 1-12 तक)
- डी-मर्ज के पश्चात् माध्यमिक शिक्षा के विद्यालय में पदों का निर्धारण स्टाफिंग पैटर्न के आदेश दिनांक : 30.04.2015 के अनुसार किया जायेगा। सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी पदों के प्रस्ताव इस कार्यालय को अविलम्ब भिजवायें।
- पृथक से संचालित किये जाने वाले विद्यालय को सत्र 2023-24 में एक से पांच कक्षाओं तक संचालित किया जायेगा। आगामी सत्रों में क्रमशः कक्षा 6, 7 एवं 8 संचालित की जायेगी।
- यदि समन्वित विद्यालय का भवन किसी अन्य उपयोग में लिया जा रहा है तो उसको रिक्त करवाकर मुक्त किया जाने वाला विद्यालय उसी भवन में संचालित किया जायेगा।
- यदि भवन जर्जर अवस्था में है, तो उनका परीक्षण करवाया जाकर सुरक्षित होने पर ही विद्यालय को प्रारम्भ करवाया जायेगा।

❖ सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)-माध्यमिक उक्त आदेश की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करवायें।

सत्यमेव जयते



(गौरव अग्रवाल)
IAS
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक:- शिविरा-मा/माध्य/अ-1/21312/समन्वयन से मुक्त/2022/

दिनांक :

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
- शासन उप सचिव-प्रथम, शिक्षा (ग्रुप-1)विभाग, राजस्थान, जयपुर को उनके प्रासंगिक पत्र के क्रम में।
- उप निदेशक, शाला दर्पण, जयपुर उक्तानुसार पोर्टल पर अद्यतन करने हेतु।
- अनुभाग अधिकारी, सामान्य प्रशासन अनुभाग-II, कार्यालय हाजा को भवन सम्बन्धी कार्यवाही बाबत।
- मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, जालौर को उक्तानुसार डी-मर्ज के प्रभावी प्रबोधन हेतु।
- सम्बन्धित संस्था प्रधान को पालनार्थ।
- स्टाफ ऑफिसर, कार्यालय हाजा।
- रक्षित पत्रावली।


उप निदेशक (माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर